

## **MEDICAL FACILITY > SERVING EMPLOYEES**

### **चिकित्सा सुविधा > कार्यरत कार्मिक**

#### **➤ CHQ/निगमित मुख्यालय**

#### **➤ पैथोलॉजिकल लैब एवं इमेजिंग सेंटर को पैनल पर लेना**

ए.60011/01/2017 -चिकि / प्रशा / 1597

दिनांक : 14.09.2017

#### **परिपत्र**

**विषय: पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं और इमेजिंग केंद्रों को सूचीबद्ध करना ।**

निगमित मुख्यालय के दिनांक 11.05.2012 के परिपत्र संख्या 21 / 2012 को आगे जारी रखते हुए जिसके द्वारा भा.वि.प्रा. कार्मिकों के लिए पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं और इमेजिंग केंद्रों पर छूट दर के साथ जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी उसे दिनांक 01.04.2016 से समाप्त / गैर सूचीबद्ध कर दिया गया था ।

किंतु इस संबंध एक बार पुनः यह दोहराया जाता है वे सभी पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं एवं डॉयगोनस्टिक केन्द्र जो सीजीएचएस और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है को भा.वि.प्रा. के पैनल में माना जाएगा एवं उनकी सेवा भा.वि.प्रा. के लाभार्थी ( सेवारत / सेवानिवृत्त) के लिए जारी रहेगी । ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति सीजीएचएस के दर पर की जाएगी केवल उनके अलावा जिसे सीजीएचएस के नैतिक समिति द्वारा गैर सूचीबद्ध किया गया है ( दिनांक 05.09.2014 के परिपत्र सं. डी . 12015/ 10 / 2014 - जीएस - II ( चिकित्सा) संलग्न है ) ।

( संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक ( मानव संसाधन)

#### **वितरण :-**

अध्यक्ष महोदय के उमप्र ( ईएस)

सदस्य ( मा सं / योजना / एएनएस /वित्त / प्रचालन) / सीवीओ के उमप्र ( ईएस)

क्षे का नि , उत्तरी क्षेत्र / वि. नि . , सफदरजंग हवाईअड्डा

सं म प्र ( एमएस) / सं म प्र ( वित्त) - चिकित्सा अनुभाग

सूचनापट्ट

भा. वि. प्रा. वेबसाइट

**परिपत्र****विषय: पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं / डॉयगोनस्टिक केंद्रों को गैर सूचीबद्ध करना ।**

सीजीएचएस के महानिदेशालय के दिनांक 01.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. एस.1/21/20/2014 (एचईसी) के संदर्भ में यह सूचित किया गया है कि ' ऑपरेशन जोन्क' शीर्षक नाम के अंतर्गत एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया एवं उसका प्रसारण टी वी चैनल द्वारा किया गया था । इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार भारतीय चिकित्सा कॉन्सिल की नैतिक समिति द्वारा जाँच की गई । एमसीआई द्वारा प्रारंभिक जाँच के उपरांत प्रस्तुत अपने अंतरिम में 09 डॉयगोनस्टिक केन्द्रों को अनैतिक तरीके अपनाने में संलिप्ता पाया पाया । उक्त के कारण जाँच पूर्ण होने तक एमसीआई के नैतिकता समिति द्वारा इन केन्द्रों का सीजीएचएस के साथ सूचीबद्धता को वापस लिया जाता है ।

तदनुसार निम्नलिखित पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं / डॉयगोनस्टिक केन्द्र जो वर्तमान में भाविप्रा के साथ सूचीबद्ध हैं को अगले आदेश तक तुरंत प्रभावी से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सूचीबद्धता सूची से गैर सूचीबद्ध किया जाता है :-

- सिटी एक्सरे एवं स्कैन सेंटर क्लीनिक प्रा. लि. , ए-12, विकासपुरी , नई दिल्ली - 18
- सिटी एक्सरे एवं स्कैन सेंटर क्लीनिक प्रा. लि. , 4 बी /7, तिलकनगर , नई दिल्ली
- स्टार इमेंजिंग एवं पैथ लैब (प्रा.) लि. 4 बी /4, तिलकनगर , नई दिल्ली
- दीवान चंद मेडिकल सेवा प्रा. लि. , ए-2 कीर्ती नगर ( मेट्रो पिलर से 328 के सामने) , नई दिल्ली
- दीवान चंद मेडिकल सेवा प्रा. लि. , 10.- बी , कस्तूरबा गाँधी मार्ग , नई दिल्ली- 1
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, फॉर्टिस फला ल. राजन दल हॉस्पिटल , पॉकेट बी-1 अरुणा आसफ अली मार्ग, वसंत कुँज , नई दिल्ली ।
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, फॉर्टिस हॉस्पिटल, बी- 22, सेक्टर - 62 , नोयडा ।
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, फॉर्टिसएस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एवं लेबोरेटरी सर्विसेस रिसर्च सेंटर लि. ओखला रोड, नई दिल्ली
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, जीपी - 26 , मारुति इंडस्ट्रियल एस्टेट , उद्योग विहार, सेक्टर-18, गुडगाँव ।
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, सी - 57 हॉस्पिटल, बी- 22, सेक्टर - 62 , नोयडा ।
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, फॉर्टिस हॉस्पिटल, ए - ब्लॉक , शालिमार बाग , नई दिल्ली ।
- एसआरएल डॉयगोनस्टिक, फॉर्टिस एस्कोर्ट हार्ट हॉस्पिटल नीलम बाटा रोड. फरीदाबाद, नई दिल्ली ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है ।

( राजू दुरेहा )  
महाप्रबंधक ( प्रशासन)

**वितरण :**

अध्यक्ष के वरिष्ठ ई ए

सदस्य ( मा. सं / योजना / एनएस / प्रचालन / वि एवं ले) / सीवीओ के वै. स.

क्षेत्रीय , उत्तरी क्षेत्र / निदेशक , भारतीय विमानन अकेदमी

सभी विभागाध्यक्ष - राजीव गांधी भवन , प्रचालन कार्यालय , नई दिल्ली कॉम्प्लेक्स

का नि ( सू प्रौ) - भाविप्रा के वेबसाइट पर लोड करने हेतु ।

का नि आरसीडीयू / एफआईयू

मप्र ( सीआरएसडी) - ई एवं एम कार्यशाला

उमप्र ( चि से) -आईएनए कॉलोनी

महासचिव एएईयू / एएओ (आई) / आईएएआईओ / पीएओ (आई) / एआईईजी / भाविप्रा अनु जा - जन जा कल्याण केन्द्र

सूचनापट्ट

➤ दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के पैनल अस्पतालों की सूची

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रशासनिक निदेशालय  
मेडिकल अनुभाग

सं. डी. 12018 / 04 / 2018 - चिकि / प्रशा

दिनांक : 24.04.2018

निगमित प्रशासनिक परिपत्र संख्या 02 / 2018

भा.वि.प्रा. के दोनों सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों की सुविधा के लिए दिनांक 24.04.2018 के अनुसार विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची फोन नंबर के साथ अपलोड किया गया है ।

( एस के उपाध्याय)  
सं म प्र ( प्रशा)

वितरण :

अध्यक्ष महोदय के उमप्र ( ईएस)

सदस्य (वित्त एवं लेखा / योजना / मा सं / एएनएस / प्रचालन) / सीवीओ के उमप्र ( ईएस)

क्षे का नि , उत्तरी क्षेत्र के वैयक्तिक सचिव

का नि ( आईएयू) के वैयक्तिक सचिव

राजीव गांधी भवन के सभी विभागाध्यक्ष

सं म प्र ( एमएस) , सीएम सेल

म प्र ( सू प्रौ) - भाविप्रा के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

अध्यक्ष / महासचिव , एएईयू / एएए / आईएएआईओए/ एसीओए(आई) / एटीसी गिल्ड (आई) / एएआईइंजी गिल्ड (आई) / एएआई

अनु जाति एवं अनु जन जाति कल्याण संगठन

सूची अलग पृष्ठ पर संलग्न है